

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2026—आषाढ़ 26, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 मई 2026

क्रमांक ई 1-01/2026/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. (1994) अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान तथा विकास आयुक्त का अति. प्रभार सौंपता है।

2/ श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

3/ श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997), प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अति. प्रभार अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL), प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग तथा अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर कंपनीज का अति. प्रभार सौंपता है।

4/ श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (1997), प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अति. प्रभार विकास आयुक्त, महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

5/ श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अति. प्रभार प्रमुख सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग, गन्ना आयुक्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग का अति. प्रभार सौंपता है।

6/ डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002), सचिव, जनसंपर्क विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL), अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, जनसंपर्क विभाग तथा अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति का अति. प्रभार सौंपता है।

7/ डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CGRIDC) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

8/ श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003), सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त का अति. प्रभार सौंपता है।

9/ सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003), सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग, पदेन राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, आयुक्त, भू-अभिलेख को केवल सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग, पदेन राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, आयुक्त, भू-अभिलेख के अति. प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग का अति. प्रभार सौंपता है।

10/ श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग, सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को केवल सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अति. प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का अति. प्रभार सौंपता है।

11/ श्री मुकेश कुमार बंसल, भा.प्र.से. (2005), सचिव, वित्त विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, वाणिज्यिक कर (आब. एवं पंजी. को छोड़कर) विभाग, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, सचिव, विमानन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, विमानन विभाग एवं सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, प्रबंध संचालक, छ.ग. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (CGRIDC) का अति. प्रभार सौंपता है।

12/ सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005), सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग तथा अति. प्रभार आबकारी आयुक्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

13/ श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006), सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को केवल सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अति. प्रभार से मुक्त करता है।

14/ श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), सचिव, समाज कल्याण विभाग तथा अति. प्रभार आयुक्त, निःशक्तजन, सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग का अति. प्रभार सौंपता है।

15/ श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से. (2006), सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, पर्यटन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, संस्कृति विभाग एवं सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अति. प्रभार सौंपता है।

16/ सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007), सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए पदेन राहत एवं पुनर्वास आयुक्त तथा आयुक्त, भू-अभिलेख का अति. प्रभार सौंपता है।

17/ श्री बसवराजू एस., भा.प्र.से. (2007), सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अति. प्रभार सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

18/ मो० कैसर अब्दुलहक, भा.प्र.से. (2007), सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अति. प्रभार सौंपता है।

मो० कैसर अब्दुलहक, भा.प्र.से. द्वारा मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), प्रबंध संचालक, मार्कफेड तथा अति. प्रभार मिशन संचालक, जल जीवन मिशन केवल मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के अति. प्रभार से मुक्त होंगे।

19/ श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, ग्रामोद्योग एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित का अति. प्रभार सौंपता है।

20/ श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के पद पर पदस्थ करता है।

श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), सचिव, सहकारिता विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, माननीय राज्यपाल एवं आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां केवल आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के अति. प्रभार से मुक्त होंगे।

21/ श्री श्याम लाल धावड़े, भा.प्र.से. (2008), सचिव, ग्रामोद्योग विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, ग्रामोद्योग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।

22/ श्री सारांश मित्तर, भा.प्र.से. (2010), आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, ऊर्जा विभाग का अति. प्रभार सौंपता है।

श्री सारांश मित्तर, भा.प्र.से. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

23/ श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमि. तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, आबकारी के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमि. एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन का अति. प्रभार सौंपता है।

24/ श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अति. प्रभार सौंपता है।

- 25/ श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, समाज कल्याण के पद पर पदस्थ करता है।
- 26/ सुश्री पुष्पा साहू, भा.प्र.से. (2012), संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा अति. प्रभार सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोरिया के पद पर पदस्थ करता है।
- 27/ श्री राजेन्द्र कुमार कटारा, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, आयुष एवं पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं का अति. प्रभार सौंपता है।
- 28/ डॉ. संतोष कुमार देवांगन, भा.प्र.से. (2013), आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के पद पर पदस्थ करता है।
- 29/ श्री एस. जयवर्धन, भा.प्र.से. (2014), कलेक्टर, जिला-सूरजपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, कोष एवं लेखा के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, पेंशन का अति. प्रभार सौंपता है।
- 30/ श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. (2015), संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर, संचालक, उद्योग, नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गतिशक्ति परियोजना को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, उद्योग एवं संचालक, विमानन का अति. प्रभार सौंपता है।
- 31/ श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), कलेक्टर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग का अति. प्रभार सौंपता है।
- 32/ श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-कोरिया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के पद पर पदस्थ करता है।
- 33/ श्रीमती रोजिता यादव, भा.प्र.से. (2016), संचालक, समाज कल्याण तथा अति. प्रभार संचालक, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अति. प्रभार सौंपता है।
- श्रीमती रोजिता यादव, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत आयुक्त, उच्च शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
- 34/ श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पद पर पदस्थ करता है।

श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

35/ सुश्री संतन देवी जांगड़े, भा.प्र.से. (2016), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, आयुष को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के पद पर पदस्थ करता है।

36/ डॉ. संजय कन्नौजे, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, संस्कृति के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का अति. प्रभार सौंपता है।

डॉ. संजय कन्नौजे, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, संस्कृति का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक आचार्य, भा.व.से. (2006) केवल संचालक, संस्कृति के प्रभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।

डॉ. संजय कन्नौजे, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, संस्कृति का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, संस्कृति के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

37/ श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, भा.प्र.से. (2016), संचालक, कोष एवं लेखा तथा अति. प्रभार संचालक, पेशन एवं पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पद पर पदस्थ करता है।

38/ श्री संबित मिश्रा, भा.प्र.से. (2018), कलेक्टर, जिला-बीजापुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

39/ सुश्री रेना जमील, भा.प्र.से. (2019), उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, लोक सेवा आयोग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सूरजपुर के पद पर पदस्थ करता है।

40/ श्री विश्वदीप, भा.प्र.से. (2019), आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बीजापुर के पद पर पदस्थ करता है।

41/ श्रीमती रीता यादव, भा.प्र.से. (2019), प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के पद पर पदस्थ करता है।

श्रीमती रीता यादव, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

42/ श्री ऋषभ कुमार पाराशर, भा.प्र.से. (2020), उप सचिव, वित्त विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, बजट एवं संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का अति. प्रभार सौंपता है।

श्री ऋषभ कुमार पाराशर, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, बजट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (2011), विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, बजट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण केवल संचालक, बजट के अति. प्रभार से मुक्त होंगे।

43/ श्री मयंक अग्रवाल, भा.व.से. (2016), चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिप्स तथा अति. प्रभार संयुक्त सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग एवं संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अति. प्रभार सौंपता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मई 2026

क्रमांक ESTB/2396/2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा सुश्री पुष्पा साहू, भा.प्र.से. (2012) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर पदस्थ करता है।

सुश्री पुष्पा साहू, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

2/ श्रीमती रोजिमा यादव, भा.प्र.से. (2016) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोरिया के पद पर पदस्थ करता है।

3/ श्रीमती रीता यादव, भा.प्र.से. (2019) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अति. प्रभार सौंपता है।

श्रीमती रीता यादव, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत आयुक्त, उच्च शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जुलाई 2026

क्रमांक एफ 7-03/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री मोहित गर्ग, (भापुसे-2013), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 07-07-2026 से 21-07-2026 (कुल 15 दिवस) तक का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री मोहित गर्ग, आगामी आदेश तक, सहा. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री गर्ग को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते।
5. श्री मोहित गर्ग, (भापुसे-2013), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अंशुमान सिंह सिसोदिया (रापुसे), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा/कल्याण), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. ध्रुवे, अवर सचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सारंगढ़-बिलाईगढ़, दिनांक 18 जून 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 747/202606320600054/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सारंगढ़- बिलाईगढ़	सारंगढ़	बरभांठ प.ह.नं. 06	2.565	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र. 1, खरसिया, जिला-रायगढ़	साराडीह बैराज निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पद्मिनी भोई साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव।

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायपुर, दिनांक 8 जून 2026

क्रमांक/4096/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	धरसीवा	सिलियारी प.ह.नं. 07	0.0354	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.)	सिलियारी-मांढर (सिलियारी गेट) लेवल क्रॉसिंग 405 पर रेलवे ओव्हरब्रिज निर्माण कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 8 जुलाई 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1667/202603042100048/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
			खसरा नं.	रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भुईयापाली	1	0.330	—	—
		प.ह.नं. 44	14/20	0.019		
			14/6	0.245		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 5 जून 2026

क्रमांक/3659/भू-अर्जन/कले./2026.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
(ख) तहसील-शंकरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-करासी, प.ह.नं. 04
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.837 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57	0.081
49	0.251
50	0.020
51	0.008
56	0.072
64	0.024
148	0.020
26	0.324
2	0.445
7	0.061
462/1	0.008
468/1	0.016
434/2	0.069
43/2	0.243
66	0.024
419/2	0.020
62	0.089
65	0.024
144	0.092
421	0.089
437	0.061

(1)	(2)
465	0.202
466	0.121
476	0.072
152/1/2	0.016
152/1/1	0.016
420/1	0.064
63	0.041
422/1	0.101
432/1	0.089
433/1	0.136
475/2	0.058
479	0.101
480	0.089
435	0.105
419/1	0.008
467	0.049
67/1	0.008
4/2	0.158
5/2	0.087
4/1	0.154
469/1	0.121

योग 42 3.837

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-करासी व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), शंकरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन संजय त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 10 अप्रैल 2026

क्रमांक 920/202204200900034/अ-82/भू-अर्जन/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कोण्डागांव
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-वनउसरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.164 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
आर.एफ.-970	0.032
आर.एफ.-970	0.024
आर.एफ.-970	0.012
आर.एफ.-970	0.020
आर.एफ.-970	0.024
आर.एफ.-970	0.004
आर.एफ.-970	0.004
आर.एफ.-970	0.004
आर.एफ.-970	0.008
आर.एफ.-970	0.012
आर.एफ.-970	0.020

योग 11 0.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-वनउसरी-माकड़ी मार्ग के कि.मी. 2/2 नारंगी नदी पर सेतुमय पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नूपुर राशि पन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 जुलाई 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2350/08/अ-82/2024-25.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-धरमजयगढ़
(ग) नगर/ग्राम-पत्थलगांवखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.0141 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77/6	0.028
83	0.004
98	0.069
71	0.008
72/2	0.020
80	0.008
81	0.004
योग	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-समनिया-पत्थलगांवखुर्द मार्ग पर भरारी नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

रायगढ़, दिनांक 8 जुलाई 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2356/07/अ-82/2024-25.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-धरमजयगढ़
(ग) नगर/ग्राम-समनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.254 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
180/2	0.024
181/1	0.024
181	0.045
177	0.090
98	0.016
341	0.055
योग	06 0.254

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-समनिया-पत्थलगांवखुर्द मार्ग पर भरारी नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

रायगढ़, दिनांक 8 जुलाई 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2361/09/अ-82/2024-25.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-धरमजयगढ़
(ग) नगर/ग्राम-ससकोबा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.112 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1230/4	0.112
योग	01 0.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ससकोबा-पाराघाटी मार्ग पर भरारी नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

रायगढ़, दिनांक 8 जुलाई 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2365/10/अ-82/2024-25.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-धरमजयगढ़
(ग) नगर/ग्राम-पाराघाटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
464/1	0.040
463/1	0.040
योग	02 0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाराघाटी-ससकोबा मार्ग पर भरारी नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 23 जून 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/366/202402031700001/अ-82/2023-24.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-कुनकुरी
(ग) नगर/ग्राम-कुनकुरी, प.ह.नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.631 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
262 से	0.303
273/1 से	0.019
273/3 से	0.019
273/4 से	0.019
273/5 से	0.019
272/1 से	0.014
योग	06
	0.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-थाना परिसर कुनकुरी के थाना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 23 जून 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/369/202602031700018/अ-82/2025-26.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-दुलदुला
(ग) नगर/ग्राम-दुलदुला, प.ह.नं. 03
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.631 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
903/2	0.631
योग	01
	0.631

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुलिस थाना दुलदुला के थाना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित व्यास, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 1 जून 2026

प्र. क्रमांक 207/01/अ-82/2024-25/1203.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-माड़ाकोट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.420 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
315/1	0.024
306	0.040
151/2	0.040
178	0.057
307/1	0.061
179	0.045
149/2	0.113
150	0.040
योग	8 0.420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माड़ाकोट जलाशय योजना के अंतर्गत स्पिल चैनल का निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 1 जून 2026

प्र. क्रमांक 209/02/अ-82/2024-25/1199.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-सेमरदरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.996 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
691/1	0.073
683, 684	0.041
662	0.138
666/3	0.012
663/1	0.045
663/3	0.032
663/2	0.045
663/5	0.008
740/1	0.841
740/2	0.761
योग	11 1.996

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बुन्देलीटोला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर एवं डुबान कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 1 जून 2026		(1)	(2)
प्र. क्रमांक 211/06/अ-82/2022-23/1201.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		399	0.126
		401/1	0.178
		401/2	0.178
		394	0.243
		395/2, 402/2	0.130
		432/9	0.105
		403/1	0.186
		406	0.344
		411/3	0.085
		411/4	0.089
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही		411/5	0.061
(ख) तहसील-मरवाही			
(ग) नगर/ग्राम-धनौरा		योग	18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.327 हेक्टेयर			2.327
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परासी एनीकट योजना के डुबान कार्य हेतु.	
(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.	
405/1, 404/1	0.198	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
405/4, 404/2	0.202		
405/5, 404/3	0.202		

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 19 जून 2026

त्रुटि सुधार

“प्रारूप-घ”

(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1511/2026042100041/बी-121/2025-26.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्र. 813, रायगढ़ दिनांक 15-04-2026 को जारी पश्चात् को संसोधित राजपत्र क्रमांक-17, भाग-1, पृ.क्र. 227, दिनांक 24-04-2026 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा अदानी पावर लिमिटेड हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में संशोधित प्रकाशन दिनांक 24 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात करा दिया गया है।

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

ग्राम-टपरदा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन हेतु प्रभावित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	टपरदा	32/4	0.040
			32/5	0.032
			32/6	0.014
			32/8	0.043
			32/9	0.042
			32/10	0.053
			32/14	0.056
			32/15	0.020
			32/16	0.028
			32/17	0.045
			32/18	0.074
			32/19	0.025
			32/26	0.030
			32/27	0.021
कुल खसरा संख्या-			14	कुल प्रस्तावित रकबा 0.523 हे.

रायगढ़, दिनांक 19 जून 2026

त्रुटि सुधार

“प्रारूप-घ”

(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1510/2026042100042/बी-121/2025-26.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्र. 810, रायगढ़ दिनांक 15-04-2026 को जारी पश्चात् को संशोधित राजपत्र क्रमांक-17, भाग-1, पृ.क्र. 227, दिनांक 24-04-2026 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा अदानी पावर लिमिटेड हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में संशोधित प्रकाशन दिनांक 24 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात करा दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-कठली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन हेतु प्रभावित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	कठली	7/3	0.021
			8/1	0.085
			14/1	0.010
			14/2	0.010
			15/2	0.087
			15/3	0.008
			16/1	0.104
			16/2	0.135
			17/2	0.015
			23/2	0.002
			23/4	0.020
			95/1 ख	0.021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			103	0.036
			104/1	0.009
			104/2	0.012
			104/3	0.012
			106/1	0.008
			107/1	0.012
			107/2	0.044
			107/3	0.040
			107/4	0.016
			107/6	0.020
			108/1	0.011
			108/2 क	0.017
			117/1	0.012
			117/2	0.015
			117/3	0.012
			117/5	0.017
			118	0.006
			164	0.128
			165	0.078
			166	0.008
			167/1	0.036
			168/1	0.040
			168/3	0.004
			169	0.032
			170	0.030
			197/2	0.004
			198	0.084
			203/2	0.014
			203/3	0.033
			204	0.066
			205	0.034
			206	0.031
			309	0.041
			310	0.044
			311	0.035

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			312/1	0.040
			312/2	0.012
			313	0.044
			316	0.004
			317/3	0.041
			318	0.025
			393	0.008
			394/1	0.015
			413	0.041

कुल प्रभावित खसरा संख्या- 56 कुल प्रस्तावित रकबा 1.789 हे.

महेश शर्मा
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.)

सक्ती, दिनांक 3 जुलाई 2026

त्रुटि सुधार

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1481/202604310400019/बी-121/2025-26. —राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 778 दिनांक 22-04-2026 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 18 पृष्ठ क्रमांक 240 भाग (1) में दिनांक 01 मई 2026 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में अडानी पॉवर लिमिटेड रायगढ़ परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा कलमा बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 01-05-2026 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात करा दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-कलमा, प.ह.नं. 11, तहसील-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाईप लाईन के उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चंद्रपुर	कलमा/ प.ह.नं. 11	2	0.267
			46/1	0.010
			46/2	0.053
			47	0.040
			53/1	0.032
			53/2	0.032
			54	0.004
			68/1	0.040
			69	0.032
			70	0.019
			72	0.063
			73/1	0.015
			73/2	0.015
			73/3	0.015
			76/1	0.080
			76/2	0.070
			77	0.023
			78	0.060
			79	0.042
			84	0.021
			135/2	0.040
			135/3	0.055
			136	0.021
			162/1 शामिल 135/1	0.012
			162/2 शामिल 135/3	0.016
			163	0.012
			164	0.065
			165/1	0.008
			165/2	0.008
			165/3	0.008
			165/4	0.008
			166/1	0.006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			166/2	0.005
			166/3	0.005
			166/4	0.005
			166/5	0.005
			166/6	0.005
			166/7	0.005
			167/1	0.002
			167/2	0.008
			167/3	0.012
			167/4	0.020
			179/1	0.081
			183/1	0.010
			184/4	0.012
			215	0.001
			224/1	0.035
			226	0.032
			227	0.080
			228/1	0.040
			228/2	0.087

कुल खसरा संख्या- 51 कुल प्रस्तावित रकबा 1.642 हे.

विनय कुमार कश्यप
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर
कार्यालय-शासकीय आयुर्वेद फार्मोसी भवन, प्रथम तल, जी.ई. रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2026

संभागवार नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम वापसी की सूचना का प्रकाशन

क्रमांक-03/निर्वाचन/2026/853-55.—जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 के तहत निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, को राजस्व आयुक्त संभाग-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं सरगुजा से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के स्वेच्छापूर्वक नाम वापसी की सूचना प्राप्त हुई है.

अतः छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उपनियम (4) के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् रायपुर एतद् निर्देश देता है कि राजस्व आयुक्त संभाग रायपुर से नामनिर्दिष्ट एवं डॉ. सेवन्त कुमार साहू, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, डाडी,

जिला-धमतरी (छ.ग.) एवं डॉ. विकास कुमार अग्रवाल, श्री राम हॉस्पिटल, पलौद, नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.), राजस्व आयुक्त संभाग दुर्ग से डॉ. संजय चन्द्रवंशी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, बिरेतारा, जिला-बालोद (छ.ग.) एवं डॉ. सुधीर कुमार हिशीकर, बोरसी भाठा, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.), राजस्व आयुक्त संभाग बिलासपुर से डॉ. घनश्याम, ग्राम व पोस्ट-सकरी, तह.-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) एवं डॉ. विश्वनाथ पटेल, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, गतौरा, ब्लॉक-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) तथा राजस्व आयुक्त संभाग सरगुजा से डॉ. अवधेश साहू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरियों, जिला-बलरामपुर (छ.ग.) ने उम्मीद्वारी वापिस लिया है जिसका प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ छत्तीसगढ़ राजपत्र में होगा।

टिप्पणी :— छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उपनियम (2) के तहत मतपत्र में उम्मीद्वारी वापिस लेने वाले का नाम प्रविष्ट नहीं होगा।

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2026

संभागवार सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीद्वारों के नाम तथा पते का प्रकाशन

क्रमांक-03/निर्वाचन/2026/856-58.— जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उपनियम (2) के तहत निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर द्वारा नाम निर्देशन-पत्रों की जांच एवं नाम वापसी के पश्चात् एक से अधिक उम्मीद्वारों वाले प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभागवार उम्मीद्वारों का नाम तथा पते राजपत्र में प्रकाशन हेतु तैयार किये गये हैं।

अतः छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 10 उपनियम (2) के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर एतद् निर्देश देता है कि एक से अधिक उम्मीद्वारों वाले राजस्व आयुक्त संभाग का नाम तथा संभागवार उम्मीद्वारों के नाम एवं पते का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ छत्तीसगढ़ के राजपत्र में किया जा रहा है।

राजस्व आयुक्त संभागवार उम्मीद्वारों के नाम तथा पते

राजस्व आयुक्त संभाग, रायपुर

सरल क्रमांक (1)	उम्मीद्वारों का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. शिव नारायण द्विवेदी	म.नं. 69/1611, रोहिणीपुरम रोड, सागर टेलर्स के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 492001
2.	डॉ. ऐश्वर्य कुमार साहू	शास. आयुर्वेद औषधालय, रानी परतेवा, ब्लॉक-छुरा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
3.	डॉ. अजीत कुमार पाण्डेय	छत्तीसगढ़ ट्राईबल लोकल हेल्थ ट्रेडिशन एण्ड मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, जीरो प्वाइंट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर (छ.ग.)

राजस्व आयुक्त संभाग, बिलासपुर

सरल क्रमांक (1)	उम्मीद्वारों का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. खुशींद अहमद खान	शगुफ्ता हॉस्पिटल, सिविल लाईन, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) 496116

(1)	(2)	(3)
2.	डॉ. सोमेश कुशवाहा	प्राकृतिक आयुर्वेद हेल्थ केयर सेंटर, दुर्गा मंदिर के पास, मरवाही रोड, बंधी, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) 495119
3.	डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा	सरयू धाम सेवा सदन, बजरंग चौक, मेन रोड पंतोरा, थाना-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
4.	डॉ. निशान्त कौशिक	स्पेशलाईज्ड थैरेपी सेन्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
5.	डॉ. अमित कुमार मिरी	आयुष विंग, जिला चिकित्सालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.)

राजस्व आयुक्त संभाग, दुर्ग

सरल क्रमांक (1)	उम्मीदवारों का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. सत्य संस्कार बारले	आयुष चिकित्सा अधिकारी, आरबीएसकेएनएचएम दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2.	डॉ. सुनील कुमार टंडन	आयुष्मान आरोग्य मंदिर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, चिल्फी, ब्लॉक-बोडला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
3.	डॉ. शिशिर कान्त शुक्ला	कांती आयुर्वेद हॉस्पिटल एण्ड पंचकर्म योगा सेंटर, भोरमदेव रोड, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
4.	डॉ. आशीष कुमार पाल	वार्ड नं.-04, नगर पंचायत, मेन रोड गुरुर, जिला-बालोद (छ.ग.) 491227

राजस्व आयुक्त संभाग, सरगुजा

सरल क्रमांक (1)	उम्मीदवारों का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. आलोक कुमार	मकान नं.-11, घुटरा पारा, मुस्कौल, वाड्ढफनगर, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर (छत्तीसगढ़) 497225
2.	डॉ. अमित कुमार पाण्डेय	शहीद वीरनारायण वार्ड 22, खैरवार रोड, आयोध्यापुरम कॉलोनी, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3.	डॉ. भुवन भास्कर साहू	ग्राम+पोस्ट-सोनहत, जिला-कोरिया, 497339 (छत्तीसगढ़)
4.	डॉ. दीपक कुमार सोनी	आर्युदीप हेल्थ सेन्टर, कन्या परिसर रोड, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)
5.	डॉ. रजनीश जायसवाल	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, गंगोटी, भैयाथान, जिला-सूरजपुर, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)

राजस्व आयुक्त संभाग, बस्तर

सरल क्रमांक (1)	उम्मीदवारों का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. जितेन्द्र सिंह ठाकुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आयुष), भानबेड़ा, भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.) 494669
2.	डॉ. योगेश कुमार शर्मा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, मुली, जिला-जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)
3.	डॉ. प्रदीप कुमार दास	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहकापाल, तह.-तोकापाल, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)

डॉ. संजय शुक्ला
निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर 24, कायाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 11 मई 2026

क्रमांक/बी-4/1/32(3)/भा.अधि./2026-27/952. — कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/3347-3348 नवा रायपुर, दिनांक 21-07-2025 द्वारा श्री बिरेन्द्र डहरिया, सहायक संचालक कृषि खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री बिरेन्द्र डहरिया, सहायक संचालक कृषि खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के स्थान पर श्री रवि कुमार पराते, प्र. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान गण्डई (छ.ग.) को कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़ का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र कुमार सवनी
संचालक

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 2 फरवरी 2026

प्रारूप-II

[नियम 5(1) देखें]

क्रमांक 828/202410260500050.—समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम हरिहरपुर, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर में कुल 1.292 हे. भूमि आपेक्षित है। आवेदक कार्यालय अभियंता, जल संसाधन सभाग सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.), सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (SIA) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विवरित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है):—

प्रस्तावित अर्जन से कुल 07 परिवार प्रभावित हो रहे हैं किन्तु किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है, और न ही किसी भी परिवार की जीविका प्रभावित हो रही है। अतः पुनर्वासन और पुनर्विस्थापन निहित नहीं है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.) को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला सूरजपुर, तहसील प्रतापपुर के ग्राम हरिहरपुर में आद्यौगिक प्रयोजन हेतु 1.292 हे. माप के भूखण्ड जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

क्रं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ०	द०	पू०	प०
1	537	भूमि स्वामी	एक फसली	0.096	नधीरा, मंगलसाय पिता लोटे, रामसाय, रामकेवल, नानसाय पिता बाबूलाल, लालमेन पति विश्वनाथ जाति कोड़ाकू	खसरा क्रं. 533	खसरा क्रं. 323/4	खसरा क्रं. 537	खसरा क्रं. 323/4
2	544	भूमि स्वामी	एक फसली	0.04	ललन आ० जूठन जाति गोंड	खसरा क्रं. 539	खसरा क्रं. 545	खसरा क्रं. 544	खसरा क्रं. 323/4
3	545	भूमि स्वामी	एक फसली	0.05		खसरा क्रं. 544	खसरा क्रं. 550	खसरा क्रं. 545	खसरा क्रं. 545
4	558	भूमि स्वामी	एक फसली	0.38		खसरा क्रं. 568	खसरा क्रं. 552	खसरा क्रं. 557	खसरा क्रं. 558
5	550	भूमि स्वामी	एक फसली	0.318	फुलसाय, राजकुमार पिता सज्जन, बरन पिता दखल जाति गोंड	खसरा क्रं. 546/2	खसरा क्रं. 550	खसरा क्रं. 550	खसरा क्रं. 550
6	503	भूमि स्वामी	एक फसली	0.144		खसरा क्रं. 502	खसरा क्रं. 313	खसरा क्रं. 503	खसरा क्रं. 503

7	546 / 2	भूमि स्वामी	एक फसली	0.04	फुलसाय पिता बागरसाय जाति बरगाह	खसरा क्रं. 546 / 1	खसरा क्रं. 550	खसरा क्रं. 548	खसरा क्रं. 546 / 2
8	559	भूमि स्वामी	एक फसली	0.035	शिवभजन पिता धरमसाय जाति बरगाह	खसरा क्रं. 549	खसरा क्रं. 549	खसरा क्रं. 549	खसरा क्रं. 548
9	501	भूमि स्वामी	एक फसली	0.10	शिवमंगल पिता बलदेव जाति गोंड	खसरा क्रं. 498 / 1	खसरा क्रं. 502	खसरा क्रं. 501	खसरा क्रं. 501
10	497	भूमि स्वामी	एक फसली	0.089	सुखदेव, देवसाय आ0 रामप्रसाद, नधियरो पति रामप्रसाद जाति कंवर	खसरा क्रं. 498 / 1	खसरा क्रं. 498 / 1	खसरा क्रं. 497	खसरा क्रं. 497

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिथ एरिया
निरंक	निरंक

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी(रा.) प्रतापपुर को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अनुविभागीय अधिकारी(रा0) प्रतापपुर एवं उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भी कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सूरजपुर, दिनांक 2 फरवरी 2026

प्रारूप-II

[नियम 5(1) देखें]

क्रमांक 829/202410260500051.—समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम सिंघरी, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर में कुल 0.425 हे. भूमि आपेक्षित है. आवेदक कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.), सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (SIA) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है):—

प्रस्तावित अर्जन से कुल 06 परिवार प्रभावित हो रहे हैं किन्तु किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है, और न ही किसी भी परिवार की जीविका प्रभावित हो रही है। अतः पुनर्वासन और पुनर्विस्थापन निहित नहीं है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.) को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला सूरजपुर, तहसील प्रतापपुर के ग्राम सिधरी में आद्यौगिक प्रयोजन हेतु 0.425 हे. माप के भूखण्ड जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

क्रं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ०	द०	प०	प०
1	324	भूमि स्वामी	एक फसली	0.04	उजित पिता बहाली जाति कंवर	खसरा क्रं. 323/4	खसरा क्रं. 325	खसरा क्रं. 324	खसरा क्रं. 324
2	323/4	भूमि स्वामी	एक फसली	0.05	चोहुटा, खोरा, धौधा पिता गेदवा जाति कंवर	खसरा क्रं. 323/3	खसरा क्रं. 324	खसरा क्रं. 323/4	खसरा क्रं. 323/4
3	323/3	भूमि स्वामी	एक फसली	0.05	हिरन पिता मनबोध जाति अन्य पिछड़ा वर्ग	खसरा क्रं. 323/2	खसरा क्रं. 323/4	खसरा क्रं. 323/3	खसरा क्रं. 323/3
4	323/2	भूमि स्वामी	एक फसली	0.03	हीरालाल, कयालाल पिता छेरिका, सोहनी पति छेरिका जाति अनुसूचित जनजाति	खसरा क्रं. 323/1	खसरा क्रं. 323/3	खसरा क्रं. 323/2	खसरा क्रं. 323/2
5	323/1	भूमि स्वामी	एक फसली	0.025	अकड़ी आ० मनबोध जाति कंवर	खसरा क्रं. 314	खसरा क्रं. 323/2	खसरा क्रं. 323/1	खसरा क्रं. 323/1
6	314	भूमि स्वामी	एक फसली	0.23	हिरन पिता उदयराम जाति गोंड	खसरा क्रं. 313	खसरा क्रं. 323/1	खसरा क्रं. 314	खसरा क्रं. 313

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिंथ एरिया
निरंक	निरंक

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी(रा.) प्रतापपुर को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अनुविभागीय अधिकारी(रा0) प्रतापपुर एवं उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भी कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

एस. जयवर्धन,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th November 2025

No. 1398/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted as Principal District Judge from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sanjeev Kumar Tamak, Judge, Family Court	Manendra-garh	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	Principal District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 20th November 2025

No. 1400/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following Civil Judge Senior Division, as specified in Column no. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Manjusha Toppo, Additional Judge to the Court of Civil Judge Senior Division, Ramanujganj at Wadrafnagar	Wadrafnagar	Bilaspur	Bilaspur	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division

Bilaspur, the 20th November 2025

No. 1402/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following Civil Judge Junior Division, as specified in Column no. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the Capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Shashwat Dubey, I Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Balrampur at Ramanujganj.	Ramanujganj	Wadrafnagar	Balrampur-Ramanujganj	Civil Judge Junior Division

Bilaspur, the 21st November 2025

No. 1405/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The nomenclature of the following Court(s) of District & Additional Sessions Judge, as specified in column No. (2) of the table below, are henceforth, amended in the manner as mentioned in Column No. (3) with immediate effect, in the light of establishment of additional Court (s) of District & Additional Sessions Judge at such places :—

TABLE

S. No. (1)	Existing Nomenclature (2)	Amended nomenclature (3)
1.	District & Additional Sessions Judge, Pendra-Road	I District & Addiitonal Sessions Judge, Pendra-Road

(1)	(2)	(3)
2.	District & Additional Sessions Judge, Dhamtari	I District & Additional Sessions Judge, Dhamtari
3.	District & Additional Sessions Judge, Bhanupratappur	I District & Additional Sessions Judge, Bhanupratappur

Bilaspur, the 21st November 2025

No. 1407/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The nomenclature of the following Court of Civil Judge Junior Division, as specified in Column No. (2) of the table below, is henceforth, amended in the manner as Mentioned in column No. (3) with immediate effect, in the light of establishment of additional Court of Civil Judge Junior Division :—

TABLE

S. No. (1)	Existing Nomenclature (2)	Amended nomenclature (3)
1.	Civil Judge Junior Division, Balodabazar	I Civil Judge Junior Division, Baloda-Bazer

By order of the High Court,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Registrar General.